



सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, शुक्रवार, 28 नवम्बर, 2025 ई0

अग्रहायण 07, 1947 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

आबकारी अनुभाग

संख्या 762/XXIII-1/2025/ई-87800/2025

देहरादून, दिनांक 28 नवम्बर, 2025

अधिसूचना

शासन द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त वित्तीय वर्ष 2025-26 हेतु शासनादेश जारी होने की तिथि से उत्तराखण्ड आबकारी नीति विषयक नियमावली, 2025-26, 2026-27 व 2027-28 (त्रिवर्षीय आबकारी नीति) के नियम 12.1 में वर्णित कॉस्ट कार्ड को संलग्न परिशिष्ट के अनुसार संशोधित/प्रतिस्थापित किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त अधिसूचना तत्काल प्रभावी होगी।

3- उक्त के कम में प्रकरण में नियमानुसार यथावश्यक अग्रेत्तर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संख्या 762/XXIII-1/2025/ई-87800/2025, दिनांक, 28 नवम्बर, 2025 का परिशिष्ट

क्र०स०	विवरण
1.	ई0डी0पी0 (नियम 12.5 के क्रम में आवकारी आयुक्त द्वारा स्वीकृत)
2.	निर्यात शुल्क (निर्यातक इकाई के राज्य में प्रभावी)
3.	आयात शुल्क (विदेशी मदिरा में रु० 10 प्रति 750 एम०एल० (01 बोतल= 02 अद्धा = 04 पक्वा) तथा बीयर व वाईन/आर०टी०डी० में रु० 05 प्रति 650 एम०एल० की दर से) अन्य धारिता में समानुपातिक आधार पर लिया जायेगा/बॉटलिंग फीस (मदिरा जिनकी भराई उत्तराखण्ड राज्य में की जा रही है।)
4.	उत्पाद शुल्क (नियम 6.1 में ई0डी0पी0 वार)
5.	योग (1+2+3+4)
6.	वाणिज्य कर (12%)
7.	योग (5+6)
8.	सेस 2 प्रतिशत उपकर (उत्तराखण्ड उपकर अधिनियम- 2015 की धारा-03 की उपधारा 1, खण्ड 'ख' के क्रम में लागू)
9.	महिला सशक्तिकरण, खेलकूद को बढ़ावा देने तथा गौ संरक्षण के लिये प्रत्येक विदेशी मदिरा/बीयर की प्रत्येक बोतल पर प्रति मद रु० 01, (अर्थात् प्रत्येक बोतल पर रु० 03) का उपकर देय होगा।
10.	होलोग्राम/ट्रेस एण्ड ट्रेक शुल्क
11.	योग (एफ०एल०-2 लागत मूल्य)
12.	प्रतिफल
13.	एफ०एल०-2 अनुज्ञापन धारक का व्यय 70/- रुपये प्रति पेट्री
14.	योग
15.	एम०जी०डी० (एम०जी०डी० नियम 6.3 में ई0डी0पी0 वार)
16.	ऐसेस्मेन्ट फीस (ऐसेस्मेन्ट फीस नियम 8.3 के अनुसार)
17.	खुदरा विक्रेता का लागत मूल्य
18.	खुदरा विक्रेता का लाभांश (विदेशी मदिरा पर 20 प्रतिशत एवं बीयर/वाईन/आर०टी०डी० पर 15 प्रतिशत लागत मूल्य का) of 17 th point
19.	प्रति बोतल एमएसपी (8 प्रतिशत लाभांश के साथ)
20.	अधिकतम खुदरा मूल्य -विदेशी मदिरा के मामले में बोतल में रु० 10 के गुणांक में अद्धा व पक्वा में 5 रुपये गुणांक में तथा बीयर/वाईन/आर०टी०डी० के मामले में रु० 5 के गुणांक में निर्धारित किया जायेगा तथा अन्तर की धनराशि प्रतिफल (अतिरिक्त राजस्व) के रूप में राजकोष में जमा करायी जायेगी। उक्त अतिरिक्त प्राप्त राजस्व जनपद के राजस्व लक्ष्य का भाग माना जाएगा।

आज्ञा से,
एल०फैनई,
प्रमुख सचिव।